## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः- ज.वि.प्रा. / अति.मु.न.नि. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2025 / डी- 210

(भवन निर्माण स्वीकृति पत्र)

दिनांक:- 30 01 2025

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, श्री कमल दीवान, मैसर्स रवि सूर्या अफोर्डेबल होम्स प्रा.लि., 1, 2, बिल्डिंग नम्बर 1, द्वितीय मंजिल, क्वीन्स हाउस, क्वीन्स रोड़, वैशाली नगर, जयपुर।

> विषयः– खसरा नम्बर 2520, 2521, 2535 व 2536 ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना मॉडल–3ए आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 306वीं बैठक दिनांक 08.10.2024 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है:—

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल		6694.10 व	ਸ ਸੀਟਰ			
2.	भूखण्ड के सामने सड़क की	चौरार्ट					
	नुखण्ड के सामन सड़क की लीजहोल्ड से फी होल्ड जा						
3.	लाजहाल्ड स फा हाल्ड जा	स फा हाल्ड जारा दिनाक			मुख्यमंत्री जन		
					के अन्तर्गत आव	ासीय प्रयो	ोजनार्थ
4.	पुर्नगठित/एकल पट्टा/उप		उपविभाजित	त पार्ट बी	a show they are		
5.	प्रस्तावित भवन मानचित्रों क	ा प्रयोजन	मुख्यमंत्री र	जन आवास योजना	मॉडल–३ए आव	गसीय प्रय	गोजनार्थ भव
			मानचित्र अ	नुमोदन बाबत्।			
6.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीर	यन क्रमांक	श्री अंकित	शर्मा, सी.ए. / 07 / 4	40652/		
ननुमे	दित मानदण्डः–						
1.	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि	मुख्यमंत्री	जन आवास	योजना 2015 के	प्रावधान ३ए के	अन्तर्गत	परियोजना ।
		कुल 444	ई.डब्ल्यू.एर	त.∕एल.आई.जी. प्रज	स्तावित ईकाईयो	ं के दिष	टेगत नगरी
		विकास ए	वं आवासन f	वेभाग की अधिसूचन	ा दिनांक 07.09.2	2022 के f	बेन्द संख्या
		(4ए) के	अनुसार EWS	/LIG आवासों का निम	र्माण कार्य भवन	मानचित्र	जारी दोने क
		1 1 1 1					
		दिनांक से	48 माह अथ 48 माह अथ	र्गत दिनांक 28.01.20	29 तक प्रभावी र	हेगी।	MIXI 61-1 4
2.	सैटबैक	दिनांक से	48 माह अथ ने—।	र्गत दिनांक 28.01.20 पार्श्व–।	29 तक प्रभावी र पार्श्व-	हेगी।	पीछे
2.		दिनांक से	48 माह अथ ने—।	र्गत दिनांक 28.01.20	29 तक प्रभावी र	हेगी। —॥	
2.	सैटबैक सकल निर्मित क्षेत्रफल	दिनांक से साम 17.56	48 माह अथ ने—।	र्गत दिनांक 28.01.20 पार्श्व–।	29 तक प्रभावी र पार्श्व-	हेगी। —॥	पीछे
		दिनांक से साम 17.56 कुल 32,4	48 माह अथ ने—। 5 मी.	र्गत दिनांक 28.01.20 पार्श्व—। 8.85 मी.	29 तक प्रभावी र पार्श्व-	हेगी। —॥	पीछे
3.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	दिनांक से साम 17.50 कुल 32,4 4.23 (28,	48 माह अथ ने—। 5 मी. 54.80 व.मी. 350.08 व.मी.	र्गत दिनांक 28.01.20 पार्श्व–। 8.85 मी. )	29 तक प्रभावी र पार्श्व-	हेगी। —॥	पीछे
3. 4.	सकल निर्मित क्षेत्रफल बी.ए.आर.	दिनांक से साम 17.56 कुल 32,4 4.23 (28, 35.30% (	48 माह अथ ने—। 5 मी. 54.80 व.मी. 350.08 व.मी. 2363.58 व.मी	र्गत दिनांक 28.01.20 पार्श्व–। 8.85 मी. ) ो.)	29 तक प्रभावी र पार्श्व- 8.85	हेगी। —॥ मी.	पीछे 8.85 मी.
3. 4. 5.	सकल निर्मित क्षेत्रफल बी.ए.आर. आच्छादित क्षेत्रफल	दिनांक से साम 17.56 कुल 32,4 4.23 (28, 35.30% (	48 माह अथ ने—। 5 मी. 54.80 व.मी. 350.08 व.मी. 2363.58 व.मी	र्गत दिनांक 28.01.20 पार्श्व—। 8.85 मी. ) ) ो.) ान्थ) + 3.00 (स्टिल्ल	29 तक प्रभावी र पार्श्व- 8.85 ट) + 34.80 मी.	हेगी। —॥ मी.	पीछे 8.85 मी.
3. 4. 5. 6.	सकल निर्मित क्षेत्रफल बी.ए.आर. आच्छादित क्षेत्रफल ऊँचाई	दिनांक से साम 17.56 कुल 32,4 4.23 (28, 35.30% (	48 माह अथ ने—। 5 मी. 54.80 व.मी. 350.08 व.मी. 2363.58 व.मी	र्गत दिनांक 28.01.20 पार्श्व–। 8.85 मी. ) ो.) न्थ) + 3.00 (स्टिल्ट (स्टिल्ट + प्रथम	29 तक प्रभावी र पार्श्व- 8.85 ट) + 34.80 मी. र से 12 तल)	हेगी। -॥ मी. + 2.40	पीछे 8.85 मी. (ममटी)
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> <li>7.</li> </ol>	सकल निर्मित क्षेत्रफल बी.ए.आर. आच्छादित क्षेत्रफल ऊँचाई तलों की संख्या	दिनांक से साम 17.56 कुल 32,4 4.23 (28, 35.30% (	48 माह अथ ने—। 5 मी. 54.80 व.मी. 350.08 व.मी. 2363.58 व.मी 0 मीटर (प्लि	र्गत दिनांक 28.01.20 पार्श्व–। 8.85 मी. ) ो.) ान्थ) + 3.00 (स्टिल्ट (स्टिल्ट + प्रथम र	29 तक प्रभावी र पार्श्व- 8.85 ट) + 34.80 मी.	हेगी। —॥ मी.	पीछे 8.85 मी.
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> <li>7.</li> </ol>	सकल निर्मित क्षेत्रफल बी.ए.आर. आच्छादित क्षेत्रफल ऊँचाई तलों की संख्या	दिनांक से साम 17.56 कुल 32,4 4.23 (28, 35.30% ( 0.6	48 माह अथ ने—1 5 मी. 54.80 व.मी. 350.08 व.मी. 2363.58 व.मी 0 मीटर (प्लि का केस	र्गत दिनांक 28.01.20 पार्श्व–। 8.85 मी. ) ो.) न्थ) + 3.00 (स्टिल्ट (स्टिल्ट + प्रथम	29 तक प्रभावी र पार्श्व- 8.85 2) + 34.80 मी. 1 से 12 तल) स्कूटर	हेगी। -॥ मी. + 2.40	पीछे 8.85 मी. (ममटी) कुल ईसीय्
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> <li>7.</li> </ol>	सकल निर्मित क्षेत्रफल बी.ए.आर. आच्छादित क्षेत्रफल ऊँचाई तलों की संख्या पार्किंग	दिनांक से साम 17.56 कुल 32,4 4.23 (28, 35.30% ( 0.6 सरप	48 माह अथ ने—1 5 मी. 54.80 व.मी. 350.08 व.मी. 2363.58 व.मी 0 मीटर (प्लि का केस	र्गत दिनांक 28.01.20 पार्श्व–। 8.85 मी. ) ो.) निथ) + 3.00 (स्टिल्ट (स्टिल्ट + प्रथम र मैकेनिकल –	29 तक प्रभावी र पार्श्व- 8.85 2) + 34.80 मी. 1 से 12 तल) स्कूटर 845	हेगी। -॥ मी. + 2.40 बस	पीछे 8.85 मी. (ममटी) कुल ईसीयृ 308.66
3. 4. 5. 6. 7. 8.	सकल निर्मित क्षेत्रफल बी.ए.आर. आच्छादित क्षेत्रफल ऊँचाई तलों की संख्या पार्किंग	दिनांक से साम 17.56 कुल 32,4 4.23 (28, 35.30% ( 0.6 सरप	48 माह अथ ने—1 5 मी. 54.80 व.मी. 350.08 व.मी. 2363.58 व.मी 0 मीटर (प्लि का केस	र्गत दिनांक 28.01.20 पार्श्व–। 8.85 मी. ) ो.) निथ) + 3.00 (स्टिल्ट (स्टिल्ट + प्रथम र मैकेनिकल –	29 तक प्रभावी र पार्श्व- 8.85 2) + 34.80 मी. 1 से 12 तल) स्कूटर	हेगी। -॥ मी. + 2.40 बस	पीछे 8.85 मी. (ममटी) कुल ईसीयृ 308.66



Date: 2025.01.30 12.01:08 IST Reason: Approver अनापत्ति प्रमाण पत्रः-

1.	अग्निशमन विभाग	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन	के समय प्रस्तुत की जानी है।		
2.	पर्यावरण विभाग का Consent to operate	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।			
3.	भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग		23.07.2024 अनुसार 70.00 मीटर ऊँचाई वधि दिनांक 22.07.2032 तक है। साईट		
		26 46 38.80 N	75 53 51.87 E		

सामान्य शर्तेः—

- 1. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन–09, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
- 2. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
- 3. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
- 4. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
- विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत मानचित्र में दर्शित / निर्धारित अनुसार ही उपयोग में लिया जावेगा।
- 6. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओ यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाऐं, वातानुकूल सेवाऐं आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
- 7. प्रकरण बहुमंजिला भवन होने के कारण भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(xi) के अनुसार आप द्वारा भवन में अग्निशमन संबंधित प्रावधान एन.बी.सी. के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवास प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 8. परियोजना में भूखण्ड़ के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), नियम 10.11.1 (वर्षा जल संग्रहण), 10.11.2 व नविवि के आदेश दिनांक 07.09.2021 (अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु प्रावधानों की अनुपालना) 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा संयत्र), 10.11.2.5 व 16.3 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण) के प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
- 9. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेंगी।
- 10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड / सुविधाओं / साईन बोर्ड Signature सुनिधिवार की जानी होगी।

11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.DIgRelyम्डेignett by Ank ar Dadmeeth Designation . Senior 7 own Planner Date: 2025.01.30 19.01:08 IST Reason: Approver प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

- 12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सडकों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना होगा।
- 13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना होगा।
- 14. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तडित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
- 15. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग उपलब्ध करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
- 16. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।
- 17. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।
- 18. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में ''गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।''
- 19. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
- 20. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
- 21. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
- 22. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग एवं पर्यावरण विभाग का Consent to operate नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- 23. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।
- 24. परियोजना में आग से बचाव हेतु भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2 के अनुसार क्षरण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया हैं, उसको अन्य उपयोग अथवा कमरों में शामिल नहीं किया गया जावेंगा।
- 25. प्रस्तावित परियोजना की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक हैं। अतः अनुमोदित भवन मानचित्र जारी किये जाने के पश्चात 90 दिवस की अवधि में संरचनात्मक सुरक्षा के उपायों से संबंधित समस्त दस्तावेजों मय स्ट्रक्चरल डिजाईन मानचित्रों को राजकीय स्तर के संस्थानों यथा आईआईटी/एनआईटी/राजकीय अभियांत्रिकी महाविधालय/राज्य सरकार द्वारा अथवा विनियम–19 व 20 के अनुसार पंजीकृत तकनीकीविज्ञ से प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय निकाय में प्रस्तुत की जानी होगी।
- 26. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रेक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि के पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड तमालर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।

27. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्<u>ठ्रोतितार अस्त्रित किर्मिस</u> Designation Senior Jown Planner Date: 2025.01.30 19.01:08 IST Reason: Approved

	कार्य की गुणवत्ता की समय—समय पर जाँच की जाए।
28.	आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभाग में जमा करवाई जानी होगी।
	ष शर्ते:
	जोन की रिपोर्ट दिनांक 23.01.2024 के अनुसार ''प्रकरण में भूखण्ड का फ्री–होल्ड पट्टा दिनांक 09.04.2024 को जारी किया गया है। उक्तानुसार फ्री–होल्ड पट्टा प्राप्त करने की दिनांक से 03 वर्ष तक पुर्नग्रहण शुल्क लेय नहीं है। अतः भवन निर्माण अवधि दिनांक 08.04.2027 तक देय होगी।
2.	मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 3ए के अन्तर्गत परियोजना में कुल 444 ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई. जी. प्रस्तावित ईकाईयों के दृष्टिगत नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.09.2022 के बिन्दु संख्या 2 (4ए) के अनुसार EWS/LIG आवासों का निर्माण कार्य भवन मानचित्र जारी होने की दिनांक से 48 माह अर्थात दिनांक 28.01.2029 तक प्रभावी रहेगी।
3.	भवन मानचित्र जारी किये जाने की दिनांक से 60 दिवस की अवधि में उक्त EWS/LIG फ्लैट्स हेतु नियमानुसार आवेदन आमंत्रित किया जाना आवश्यक होगा एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटन किया जावेंगा।
संल	ग्नः— मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (03 मानचित्र)

भवदीय,

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति (बीपी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।


### प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (03 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 2. उपायुक्त जोन—09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (03 मानचित्र) संलग्न कर लेख है कि भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.1 (बहुमंजिला भवनों हेतु) के क्रम में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण (Upgradation) हेतु विकास योजनाएें तैयार किये जाने की कार्यवाही सूनिश्चित की जावें।
- 3. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 4. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 5. उपायुक्त राजस्व—प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 6()/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
- चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को पत्र क्रमांक 2879–2882 दिनांक 04.10.
   2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति (बीपी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Signature yalid

Digitally signed by Ankar Dadheech Designation. Senior Jown Planner Date: 2025.01.30 19.01:08 IST Reason: Approver



Already Registered Project "RIVERFRONT HOMES" Already Registered Project "RIVERFRONT HOMES" RERA Registration No. RAJ/P/2018/867 Phase Area 2942.40 Sq. Mtr.

र सावाश्वय का जनुवादन किसी दी बॉा: इक्वयत मुमि/मुखण्ड के प्रति स्वामित्व का (TOTAL SCOOTER PARKING = 845) अभाष-पत्र नहीं पाना जादेगा और व है स्रासे किसी के स्वामित्व सम्बण्डि अख्या? दी प्रमाणित होगें। तीचे किये गयें अनुसोरित मानचिवा दे वर्षाये वर्ये सवन निर्माल का खंदपदाः STRUCTUES ) ST VIER ST


OTHER'S LAND

# STILT/ GROUND FLOOR PLAN (BLOCK-A&B)

(TOTAL CAR PARKING = 23 E.C.U.)

(SCOOTER PARKING ON GROUND FLOOR =461)

(SCOOTER PARKING IN BASEMENT FLOOR =384)



## BALCONY 2.00X2.25 6'-6" X7'-6" 1.50X2.13 5-0" X7'-0 BEDROOM 3.60X3.05 12'-0" X10'-0" BEDROOM 3.60X3.37 12'-0" X11'-0" TOILET 2.13X1.35 7-0" X4'-6"

**BLOCK - B NEW AREA SHEET** 

FIRST FLOOR 1448.47 SECOND FLOOR 1448.47

THIRD FLOOR 1448.47

FOURTH FLOOR 1448.47

SIXTH FLOOR 1448.47

6 FIFTH FLOOR 1448.47

SEVENTH FLOOR 1448.47

9 EIGHTH FLOOR 1448.47

10 NINETH FLOOR 1448.47

11 TENTH FLOOR 1448.47

12 ELEVENTH FLOOR 1448.47

13 TWELFHTH FLOOR 1448.47

14 TERRACE 86.48

BASEMENT FLOOR 2117.97

FIFTH FLOOR 2486.17

SIXTH FLOOR 2486.17

SEVENTH FLOOR 2486.17

2363.58

2486.17

2486.17

2486.17

2486.17

Name of floor

FIFTH FLOOR

ELEVENTH FLOOR

TWELFTH FLOOR

TOTAL UNIT

180

48

228

292.11

286.47

TOTAL NO. OF UNIT

 STILT FLOOR
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 <th

 FOURTH FLOOR
 2
 1
 1
 8
 1
 1
 5

THIRD FLOOR 2 1 1 8 1 1

 SWITH FLOOR
 2
 1
 N
 8
 1
 N

 SEVENTH FLOOR
 2
 1
 1
 8
 1
 1

 EIGHTH FLOOR
 2
 1
 1
 8
 1
 1

2 1 1 8

NINETH FLOOR 2 1 1 8

TENTH FLOOR 2 1 1 8 1

2 1 1

STILT/GROUND

FLOOR

3 FIRST FLOOR 2486.17

4 SECOND FLOOR 2486.17

10 EIGHTH FLOOR 2486.17

13 ELEVENTH FLOOR 1448.47

14 TWELFHTH FLOOR 1448.47

15 MUMTY/TERRACE 214.61

11 NINETH FLOOR

Sr.no

2

6

9

10

11

12

LIG UNIT

EWS UNIT TOTAL UNITS

14

4

5

TENTH FLOOR

THIRD FLOOR

FOURTH FLOOR

STILT/GROUND FLOOR 1061.82 182.15 170.30 16.68 14.93

**AREA CALCULATION BLOCK- B** 

16.68 14.93

16.68 14.93

16.68 14.93

16.68 14.93

16.68 14.93

16.68 14.93

16.68 14.93

16.68 14.93

16.68 14.93

16.68 14.93

**AREA CALCULATION BLOCK- A+B** 

16.68 44.89

16.68 44.89

16.68 44.89

16.68 44.89

16.68 44.89

16.68 44.89

16.68 44.89

16.68 44.89

16.68 44.89

16.68 44.89

16.68 14.93

16.68 14.93

16 TOTAL AREA 32454.8 292.11 286.47 216.84 523.65 223.13 130.04 3841.4 28350.8 2363.58

EWS (1BHK) EWS (1BHK) EWS (1BHK) LIG (2BHK) LIG (2BHK) LIG (2BHK) LIG (2BHK)

 TYPE 01
 TYPE 02
 TYPE 03
 TYPE 01
 TYPE 02
 TYPE 03
 TYPE 04

2 1 1 8 1 1 5

8

NAME OF FLOOR GROSS BUILTUP CLUB AREA COMMERCIAL LIFT/CUT FIRE STAIRCASE SERVICES AREA CHALJA PARKING B.A.R. AREA GROUND

AREA (Sqmt.) (Sqmt.) AREA (Sqmt.) AREA (Sqmt.) AREA (Sqmt.) (Sqmt.) AREA (Sqmt.) area(Sqmt.) (Sqmt.) (Sqmt.) (Sqmt.)

44.89

15 TOTAL AREA 18529.94 182.15 170.30 216.84 194.09 677.76 80.18 17354.77 1284.95

16.68

14.93 14.93

(Sqmt.)

677.76

223.13

11.24

11.88

11.88

11.88 11.88

11.88

11.88

11.88

11.88

11.88

11.88

5

5

NAME OF FLOOR GROSS BUILTUP CLUB AREA COMMERCIAL LIFT/CUT AREA FIRE STAIRCASE AREA tank+guard room+swm+

16.68 16.68

AREA (Sqmt.) (Sqmt.) AREA (Sqmt.) (Sqmt.) AREA (Sqmt.)

PARKING SERVISAGE AREA stp+ug B.A.R. AREA GROUND

2117.97

transfarmer(Sqmt.)

80.18

(Sqmt.) COVERAGE (Sqmt.)

352.45

1416.86

1416.86

1416.86

1416.86

1416.86

1416.86

1416.86

1416.86

1416.86

1416.86

1416.86

1416.86

1723.43 1389.88 2363.58

2412.72

2412.72

2412.72

2412.72

2412.72

2412.72

2412.72

2412.72

2412.72


2412.72


1416.86

1416.86

\_\_\_\_\_

1284.95





1.73 1.88

8EDROOM 3.05X3.60 10'-0" X12'-0"

9.67----

BALCONY 1.50X1.93 5'-0" X6'-6"

TOTAL PLOT AREA

PERMISSIBLE HEIGHT

ACHIEVED B.A.R

REQUIRED CLUB AREA 1% OF TOTAL B.A.R. = ACHIEVED CLUB AREA 1.03% OF TOTAL B.A.R. = PARKING CALCULATION EQ. PARKING (E.C.U.) =

REQUIRED GREEN AREA (15%@PLOT AREA ) = COMMERCIAL AREA (SQ.M.)=

OTAL REQ. (E.C.U.) = 25 % SCODTER PARKING (E.C.U.) =

75 % CAR PARKING (E.C.U.) = TOTAL LIG UNIT =

TOTAL EWS UNIT =


REQ. PARKING CAR PARKING =

ACHIEVED GREEN AREA ON GROUND FLOOR (15.69 %) ADD 25 % FOR VISITORS (E.C.U.) =

**REQ PARKING FOR LIG UNIT =** 


SCOOTER PARKING =

PROPOSED PARKING BLOCK-A+BLOCK-B CAR PARKING = SCOOTER PARKING =















TT

	SHEET NC	002		
PROJECT T	ITLE		-	
CHIEF MINISTER	RESIDENTIAL GROU S. JAN AWAS YOJAN Khasra No 2520, Goner, Tehsil - S.	NA-2015 ( , 2521, 25	UNDER PROVISION 35, 2536 AT	N 3A
DRAWING	TITLE			
FLO	OR PLANS	& SE	CTION	
DATE	SCALE		NORTH N	
	1:200		w 🏘	PE
ARCHITECT	SIGNATURE	OWNE	R'S SIGNATUR	RE
HIT SH Reg. N CAV07/40 But cit of Arc	0.	Anid	the Homes P	N. 1

MUMTY+ 40.80			
TERRACE FLOOR 38.40 M.	-2.40		
TWELFTH FLOOR	-2.90		
35.50 M.	-2.90		
ELEVENTH FLOOF 32.60 M.	3		
TENTH FLOOR	2.90		
29.70 M.	2.90		וו
<u>NINTH FLOOR</u> 26.80 M.	-2.90		
EIGHTH FLOOR 23.90 M.	2.90		
SEVENTH FLOOR 21.00 M.			
SIXTH FLOOR 18.10 M.	2.90		
	34.80 2.90 40.80		וו
FIFTH FLOOR 15.20 M.	2.90		]
FOURTH FLOOR 12.30 M.	5.90		1
THIRD FLOOR+			
SECOND FLOOR+ 6.50 M.	2.90		
	2.90		]
FIRST FLOOR+ 3.60 M.	3.00		
Stilt floor Driveway lvl. Road IVI.	0.45	NORTH SIDE ELEVATION	11

MUMTY+ 40.80 00 00 00 00 00			 
TERRACE FLOOR			
TWELFTH FLOOR 35.50 M.			
ELEVENTH FLOOR 32.60 M.			
TENTH FLOOR			
NINTH FLOOR			
EIGHTH FLOOR 23.90 M. 06			
SEVENTH FLOOR			
SIXTH FLOOR			
FIFTH FLOOR 15.20 M.			
FOURTH FLOOR 12.30 M.			
THIRD FLOOR+ 9.40 M. 06. N			
SECOND FLOOR+ 6.50 M.			
FIRST FLOOR+			
3.00			
Driveway tvl.	SOUTH SIDE ELEVATION		
0			



विक्रमी हाः ताम वनता । ताम वनता । ताम वनता । ताम माहा त्यामीव देशिः ताम प्राण्ट हीः कालिम अल्टा	 antipain ancent get the senetraction checked at pliate avel before proceeding fe- antiper constrantion	उपनगर नियोध जयपुर विकास प्राधि

योजन (BP) प्राधिकरण जयपुर	भद्रमोदित	खाँतेरिक्त मुर भवन म जन्मर विकास	30/125 अगर नियोज निमित्र समिति न प्राधिकरण, जवपु	क ह		
						1_
						-
						_
						-
						_
						_
						]
	·	<u></u>			<u> </u>	

1

	 ·

PROJECT TITL	E		
PROPOSED RESI Chief Minister's. JA In Khas Village - Gom	an Awas Yojan Sra no 2520,	Housing Singli A-2015 ( Under I 2521, 2535, 2536 Nganer, Distt.	PROVISION 3A
DRAWING TIT	LE		
El	LEVATIO	NS	
DATE	SCALE	NORT	HN
	1:200		
ARCHITECT'S SI	GNATURE	OWNER'S SIG	NATURE
Aut HT SH Reg. Nr CAJO7/40 CAJO7/40 OF Art	652	Sel.	Cherry Can 18

A N K I T S H A R M A ARCHITECTS \* INTERIORS \* & CONSULTANTS plot no -79 ,Dakha Nagar, Sirsi Road, Phone- 0141-4069251, Mobile: (+91) 9928407365, email:- arch\_ankits@yahoo.com

Date: 19.02.2025

### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

Site Address: Khasra No./ Plot No.2520,2521,2535,2536, Village- Goner, Main Goner Road, Jaipur - 303905 (Rajasthan)

Total Land Area: 6694.10 square meters

Area calculation:

Details	RIVERFRONT HOMES	AURIC AQUA HOMES
Phase Area	2942.40sq.mtr.	3751.70sq.mtr.
Open Area	5615.47sq.mtr.	2273.69 sq.mtr.
Gross Built-up Area	13924.86sq.mtr.	18529.94sq.mtr.
No. of floors	Basement+Ground+10	Stilt+12 Floor
	Floor	
Total saleable	219	236
units/flats/shops	(216 Flats+ 3 Shops)	(228 Flats+ 8 Shops)
Parking details	5 Cars, 433 TW	5 Cars, 412 TW



AR. Ankit Sharma